FORM 111
फर्द अहकाम
(नियम - 26)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

सुगनचन्द बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 128 भू.रा.अधि. मु.नं. 256 सन् 2024 जीसीएमएस नं.

| | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| .07.2024 | रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से श्री मुरारी लाल यादव एडवोकेट उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 128 भू. रा. अधि. दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 31.07.2024 को पेश हो।<br><br>(राजवीर सिंह यादव)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नीमकाथाना (राज.) | |
| 31.07.2024 | पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी [illegible]क तामील अनुपस्थित। अतः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 275-2078 राजस्व ग्राम मंगलपुरा पटवार हल्का झिराणा तहसील नीमकाथाना भूमि खसरा नं. 389, 387, 388, 378, 377 कुल किता 05 कुल रकबा 4.67 हैक्ट0 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।<br><br>(राजवीर सिंह यादव)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नीमकाथाना (राज.)<br><br>**आदेश**<br><br>प्रा0 पत्र 356/2024<br>निर्णय दिनांक 31.07.2024<br><br>उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम मंगलपुरा पटवार हल्का झिराणा तहसील नीमकाथाना भूमि खसरा नं. 389, 387, 388, 378, 377 कुल किता 05 कुल रकबा 4.67 हैक्ट0 प्रा[illegible] खातेदारान को सूचित कर [illegible] 11.06.2024 बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीम[illegible] दिलवाते पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने [illegible] पाटन को इस अथवा बेदखली की कार्यवा[illegible] से कम होकर हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली [illegible] दफ्तर दाखिल हो।<br><br>निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।<br><br>(राजवीर सिंह यादव)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नीमकाथाना (राज.) | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.03.26 11:33:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner